THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Now, Shri Sukomal Sen. Not present. Shri Narayanasamy. Not present. Shri Suresh Kalmadi.

THE HIGH COURT AT BOMBAY (ESTABLISHMENT OF A PERMANENT BENCH AT PUNE) BILL, 1991

SHRI SURESH KALMADI (Maharashtra): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the establishment of a Permanent Bench of the High Court at Bombay at Pune.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI SURESH KALMADI: Sir, I introduce the Bill.

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1991

(to amend Article 332)

SHRI NARAYAN KAR (Tripura): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI NARAYAN KAR: Sir, I introduce the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Now, we proceed to the Bills which are under consideration. The Financial Relief to Old Persons and Widows Bill, 1990, is under consideration and debate. We shall take up that now. Shri Narayanasamy. Not present. Chowdhry Hari Singh.

THE FINANCIAL RELIEF TO OLD PERSONS AND WIDOWS BILL, 1990

चौधरी हरी सिंह (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, इस सदन में माननीय सदस्य श्री पचौरी जी ने यह बिल रखा है वृद्ध व्यक्तियों और विधवाओं को वित्तीय राहत की व्यवस्था विधेयक, 1990 इसकी भावना बहुत उत्तम और अच्छी है इस मायने में कि थोड़ा सा उनको आर्थिक सहायता मिल जाए, पेंशन मिल जाए, यह इस बिल के पढ़ने से मालूम पड़ता है । लेकिन यह समस्या महज ही जो बूढ़े और हमारे देश में विधवा औरतें हैं और सहाराहीन जो गरीब लोग हैं, पिछड़े हुए हैं, बेसहारा गरीबी के मारे हुए, परिवार से टूटे हुए, जिनका कोई संबंधी नहीं है, जिनका कोई खैर-खबर लेने वाला नहीं है, जिनके पास रहने को घर नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई बात उनकी सुनने वाला नहीं है, यहां तक कि पानी पिलाने वाला भी नहीं है, खाने की बात तो छोड़ दीजिए, उनको एकमात्र तीन सौ रुपये की पेंशन यह अच्छा तो लगता है लेकिन यह समस्या इतनी विस्तृत और इस जीवन के इतने क्षेत्र को इन लोगों के छूने वाली है कि यह बिल बड़ा अधूरा सा लगता है । यह मालूम पड़ता है कि बड़ी तेजी में इन्होंने यह बिल बनाकर पेश किया है । अच्छा होता इस समस्या के सभी पहलूओं पर गहराई से, विस्तृत रूप से इसका अध्ययन करने के बाद अगर यह बिल लाते भले ही यह बिल इस बार पास न होता, लेकिन संसद् के सामने, हमारा यह जो महान सदन है, इसके सामने बड़ा प्रश्न खड़ा रहता, उनकी याद भी बनी रहती और बहुत मुमकिन है कि वह भी कभी मंत्री हो जायें यह विभाग भी उनको मिल जाता तो बहुत मुमकिन है कि जो आज का ख्याल दिया हुआ है इस सदन को वह पूरा कर पाते । मेरे कहने का मंशा यह है कि मेरी नज़र में यह बिल बहुत ही छोटा, मात्र एक पेंशन का जैसे कि विद्यार्थी को वजीफा दिया जाता है, यह बहुत ही अधूरा है । वास्तव में जो बुजुर्ग लोग हैं, विधवा स्त्रियां हैं उनकी समस्यायें बहुत विकट हैं । आज देश के अन्दर अगर आप घूमें, एक सिर्फ मेडिकल साइंस लेना चाहता हूं, श्रीमन्, अगर आज अस्पतालों का सर्वे करायें ? और देखें तो जितने मरीज अस्पतालों में आते हैं और भर्ती होते हैं, ईलाज के लिए आते हैं उनका 70 फीसदी लोग 60 से 65 से ऊपर की आयु के लोग होते हैं, बेसहारा लोग होते हैं ।

[चौधरी हरि सिंह]

विधवाओं की ऐसी समस्यायें होती हैं कि वह अपना लालन-पालन नहीं कर सकतीं। बहुत सी स्त्रियां तो ऐसी होती हैं कि जिनके ऊपर एक छोड़े हुए परिवार की छोटे-छोटे बच्चों की भी जिम्मेदारी होती है। तो इसके लिए आज जो आवश्यकता है यह केवल पेंशन देने मात्र की नहीं है, बल्कि उनके लिए घर बनाने की है, उनके लिए विशेष तौर पर अस्पताल बनाने की है। उनके रहने के लिए, सुख-सुविधा देने के लिए, ईलाज करने के लिए, खाने-पीने और रहने के लिए, इन सब चीजों की आवश्यकता है, जिसकी कि इस बिल से पूर्ति नहीं होती है। मैं कहना चाहता हूं कि आज भारत में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम बहुत अच्छा है और जिसमें कि बुजुर्गों को पूजते और मानते हैं। लेकिन पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति और यह अंग्रेजी की देन, अंग्रेजों का जो कल्चर इस देश में आया है उसने तो परिवारों को तोड़ डाला है और कहने लगे हैं कि यह बुजुर्ग लोग तो सुपर-फ्लअस हैं, यह तो वेस्टेड, आउट- डेटेड लोग हैं। इसके बारे में मैं लफ्जों में एक किस्सा आपको सुनाना चाहता हूं कि पश्चिमी देशों में उनके लिए शैल्टर होम्ज हैं। लोग जाते हैं और अपने बूढ़े माता-पिताओं को छोड़ आते हैं और फैमिली से दूर हो जाते हैं और बुजुर्ग जो हैं इनकी जो साइकालोजी हो जाती है कि मान्यवर, वह कुछ नहीं करना चाहते। फैमिली में रह कर वह चाहते हैं कि मेरी भी इंपार्टेंस बने, वह कुछ निर्णय तो नहीं कर सकते सिर्फ उनसे पूछ ही लिया जाए तो अपने को बड़ा अहम और महनता समझते हैं कि परिवार वाले मुझसे पूछ रहे हैं हालांकि उनके डिसीजन में कोई काम नहीं होता। लेकिन यह पश्चिम से चला आ रहा है कि उनको शैल्टर होम में भेज दीजिए। एक बार एक बूढ़े पुरुष के लड़के और लड़के की पत्नी उसको विदा करने लगे, शैल्टर होम में पहुंचाने लगे कार में ले जा करके तो वह बीच में रास्ते में एक चौराहे पर उसने कहा कि बेटे मुझको यहां पर तुम उतारो, मुझको यहां थोड़ा सा आराम करना है। तब उस बुजुर्ग आदमी ने पहले तो अपने घर की तरफ देखा, बड़े गौर से देखा। बहुत हंसा, बहुत खुश हुआ। फिर अपने लड़के, पोतों को और लड़के की पत्नी को देखा तो उससे भी ज्यादा खुश हुआ। और जब शैल्टर होम की तरफ उसने देखा तो वह फूट-फूट कर रोने लगा! लड़के ने पूछा, पिताजी आपने जब इधर देखा और हम को देखा तो आप बहुत खुश हुए, लेकिन जब आपने शैल्टर होम की तरफ देखा तो आप बड़े रंजीदा हुए। उसने कहा कि बेटे मैं आपने बाप को भी इसी तरह से छोड़कर आया था और इस चबूतरे पर बैठकर उन्होंने भी ऐसा ही एहसास किया था। यह बात सुनकर उस बेटे के दिमाग पर बड़ा असर हुआ उसने सोचा कि पिताजी को इस बात से बहुत कष्ट पहुंचा है और वह उन्हें वापिस घर ले आया। कहने का मतलब यह है कि भारतीय संस्कृति, उसकी भावना और जो जीवन का रहन-सहन है, यह उसके विपरीत है। होना तो यही चाहिए कि जो परिवार हैं उन्हीं में बुजुर्गों को रखा जाय साथ ही इस तरह का वातावरण पैदा किया जाय कि बुजुर्गों की घर से अलग न किया जाए। लेकिन मौजूदा संस्कृति आती चली जा रही है तथा समस्या बढ़ रही है। इसके लिए मैं ओल्ड एज हाउसेस के पक्ष में नहीं हूं बल्कि अगर कुछ करना है तो केवल पेंशन से काम नहीं चलेगा, उनकी हैल्थ के लिए, उनके खाने-पीने के लिए, उनके रहने की सुविधा, चिकित्सा की सुविधा और उनकी सेवा-सुश्रुषा करने वाला भी होना चाहिए।

श्रीमन्, मेरे पास उत्तर प्रदेश में फ्रीडम फाइटर्स का महकमा था। वहां पर फ्रीडम फाइटर्स होम है। वहां मैंने देखा कि जिनकी कृपा से हमें आजादी मिली, जिन्होंने अंग्रेजों से जंग ली, बहुत से लोगों ने बड़ी-बड़ी यातनायें सहीं, डंडे खाए, जेल गए—वे वहां पड़े हुए हैं और उनके पास ओढ़ने के लिए सिर्फ कंबल है। वह उठकर पानी नहीं पी सकते थे। मैं कैबिनेट के अंदर वह मामला लाया। वहां उनकी सेवा का प्रबंध करवाया। उनके खाने-पीने में सुधार करवाया। गर्म कपड़े-कोट, जर्सी का इंतजाम करवाया। रात को ओढ़ने के लिए लिहाफ का इंतजाम करवाया। हल्की सर्दी में कंबल और

गद्दों का इंतजाम करवाया। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस वर्ग की तरफ दिल से देखनेवाले बहुत कम लोग हैं। यह वही समझ सकता है जिसने प्रेमचंद का साहित्य पढ़ा हो, गोसवर्दी का पढ़ा हो, मदर पढ़ा हो, जिन्होंने सताए हुए लोगों की तरफ देखा हो। इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि इस बिल के अनुसार उन्हें पेंशन दे दी जाय, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि इस बारे में बड़े पैमाने पर सर्वे किया जाए। इसके लिए कमीशन बनाया जाए, जो जांच करे कि किस तरह से इनके लिए होम्स बनाए जायें जिनमें सारी चीजों की व्यवस्था हो। उनके इलाज की व्यवस्था हो, विधवा स्त्रियों के लिए यह नहीं कि वे खाली बैठी रहें हो। उनके लिए उसी तरह के काम दिए जायें। उनकी हिफाजत की जाए उनके बच्चों के लिए पढ़ने-लिखने की व्यवस्था की जाए। पेंशन मात्र से काम चलनेवाला नहीं है इस बारे में बड़े पैमाने पर काम करने की जरूरत है।

मुझे खुशी है कि इस बिल में पेंशन किया गया है कि इनका रुपया डिस्बर्स करने का राइट या अथारिटी जो है, वह सोशल कोर्ट को दिया जाय। मुझे यह भी खुशी है कि केन्द्र में हमारे माननीय सीताराम केसरी जी सोशल वेल्फेयर के मंत्री हैं। हमको तो उनसे यह आशा नहीं थी कि वे समाज कल्याण के काम में इतनी दिलचस्पी ले सकते हैं, इतना बड़ा काम कर सकते हैं आज हमारे देश में निर्बल वर्ग के लोग यह समझते हैं कि इनके हाथों हमारा कल्याण हो सकता है इनकी बड़ी मांग है। लोग कहते हैं, कि साहब उनका कोई प्रोग्राम रखिए। यह खुशी की बात है कि वह थोड़े वक्त के अंदर निर्धन और कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए बड़ी बड़ी स्कीम लाए मैंने सफाई कर्मचारियों की बात सुनी है। अखबार में पढ़ा है कि यह पहली बार हो रहा है कि जो म्यूसिपैलिटी सफाई का काम खत्म करेगी, उसको इनाम देंगे। तो जन-कल्याण का विभाग जब ऐसे आदमी के हाथ में होता है जोकि हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बीच में घूमा हो तो वही उनके जन-कल्याण का काम कर सकता है।

श्रीमन्, इस बिल को पास करने की पोजीशन में तो मैं नहीं हूं। मैं खुद ही डिसएग्री कर रहा हूं। सिर्फ पेंशन देने से काम चलनेवाला नहीं है बल्कि उनके जीवन को संपूर्ण रंगों से भरना होगा ताकि उनका जीवन सुंदर बीते। उनके लिए खेल-कूद का इंतजाम हो और दूसरे मनोरंजन के साधन हों। उन्हें लगे कि हमारा यदि वह घर नहीं है तो यह नयी फेमिली मौजूद है। ऐसा वातावरण पदा किया जाय इसके लिए एक्सपर्ट्स लोग नयी योजनाएं बनाएं। एक्सपर्ट लोगों की राय ली जाए। कि जो बुजुर्ग लोग हैं, अब बुजुर्ग लोग तो सन् 2000 के बाद में बहुत कम रहेंगे; 80 फीसदी जनता जवानों की हो जाएगी और उनकी उम्र होगी 39 वर्ष यानी एवरेज 39 वर्ष होने वाला है तो गिने-चुने बुजुर्ग लोग रहने वाले हैं।

महोदय, बुजुर्ग तो हमारी धरोहर हैं। यही नहीं, उनका हक भी है। क्योंकि उन्होंने मेहनत करके, फैक्टरी में काम करके, खेतों में काम करके, विभागों में काम करके इस देश को, अपने घर को, अपने परिवार को चलाया है आप यह न समझिए कि जो गरीब आदमी होते हैं, केवल उन्हीं को पेंशन की जरूरत है। मैं जानता हूं, बहुत से ऐसे डाक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जिनके नाम इतिहास में पढ़े जाते हैं, मगर उनकी भी ओल्डएज में दुर्गति हुई है। जिनके नाम से हमने नारे लगाए थे, उनको भी मैंने देखा है कि ओल्डएज में बेचारे परेशान थे। तो आप यह न समझिए कि केवल गरीब और बेसहारा, जिनके ब्रोकेन होम्स हैं उनके परिवार से ही बुजुर्गों की समस्याएं हैं। बड़े-बड़े अच्छे परिवारों को मैंने देखा है। मैं एक आई.ए.एस. आफिसर का नाम जानता हूं, जिसने बड़े भाई को किस तरह से सर्वेन्ट क्वार्टर में डाल दिया। वह मेरे यहां के रहने वाले थे। जब मुझे मालूम पड़ा तो मैंने उनसे पूछा कि आपके बड़े भाई आजकल कहां रहते हैं? पता चला, उनके लड़के ने बताया, बड़ा अंग्रेज था बातचीत करने में, कहा—वह तो वहां सर्वेन्ट क्वार्टर में रहते हैं। हमने उनसे पूछा कि आफिसर साहब, आपने अपने

[चौधरी हरि सिंह]

बड़े भाई को इस तरह क्यों डाल रखा है, उन्होंने तो अपनी मेहनत से आपको पढ़ाया, लिखाया और आपको इंग्लैंड भेजा, आप वहां से कुछ बनकर आए । तो आपने क्यों उन्हें ऐसे डाल दिया ? तो बड़ी शर्म करते हुए बोले कि उनको केन्सर हो गया था ।

मेरी कहने की मंशा यह है कि जो ओल्डएज के लोग हैं और जो विधवा औरतें हैं, उनको बहुत परेशानी और दिक्कतें होती हैं । यह केवल ब्रोकेन होम्स या गंदी बस्तियों में रहने वाले ही नहीं होते, मजदूर लोग ही नहीं होते बल्कि अमीर, पढ़-लिखे परिवारों के लोग भी होते हैं । मेरा आग्रह यह है कि इनके लिए नई-नई स्कीमें लाई जाएं, हेल्थ केयर की सुविधा दी जाए और इनके लिए होम्स बनाए जाएं । आप जानते हैं कि बुढ़ापे में स्वयं उठकर पानी नहीं पिया जाता, जोड़ों में दर्द होने लगता है, उठा भी नहीं जाता । इस तरह से बुजुर्ग बहुत परेशान रहते हैं । मैं माननीय मंत्री केसरी जी से खास तौर पर कहूंगा कि यहां आप हरिजनों, आदिवासियों, पिछड़े वर्ग के लोगों का बहुत उत्थान कर रहे हैं वहीं इस पहलू पर भी विचार करें और कमीशन बैठाकर जांच कराने के बाद एक विस्तृत बिल लाकर इनकी समस्याओं को निराकरण करवा दीजिए । इस देश की विधवा औरतें और न जाने कितने लोग आपको इसके लिए धन्यवाद देंगे ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन तो करता हूं और आग्रह भी करता हूं कि एक विस्तृत बिल इस संबंध में सरकार लेकर आए । धन्यवाद ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Hon. Members I want to identify Shri Sangh Priya Gautam. But I want to convey to the House that he had given his speech on 30th August, 1991. Thereafter, he was to continue on 13-9-1991 but he was absent. So, ordinarily his right lapses. But this being a Private Member's Bill, if you have no objection, we will hear him. What is the sense of the House?

HON. MEMBERS: Yes.

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, today is Friday and three statements are to be made at 5 o'clock.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): That cannot be before 5 o'clock.

SHRI JAGESH DESAI: After 5 o clock Members have to go.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): We cannot give this time, you know It is a Private Member's Bill.

SHRI JAGESH DESAI: All these three statements are very important and Members are not resent today.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): I appreciate that. Let the statements be made. The clarifications can be sought. (*Interruptions*).

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV (Maharashtra): Sir you see the attendance now. What would be the position after 5 o'clock?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): That I always see on Fridays.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: Sir, you can take a decision on this. I request the Chair that these statements can be made on Monday.

SHRI JAGESH DESAI: Why not today?

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: Because most of the people will be able to participate in the statements and seek clarifications.

SHRI JAGESH DESAI: There is an important statement on Varanasi riot.

DR. R. K. PODDAR (West Bengal): He was seeking the sense of the House.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: The Commerce Minister's statement is also there.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): You know that private Members' time cannot be curtailed.

SHRI JAGESH DESAI: They are taking the House for granted. They are making important statements at 5 o'clock on Friday.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: Sir, you take a decision that these statements can be made on Monday so that this party or that party should not make any complaint and all Members can participate.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): That is for the Ministers to do. Let the Ministers make up their minds.

SHRI MOHAMMED AFZAL *alias* MEEM AFZAL (Uttar Pradesh): These statements can be made on Monday, Sir. So other Members can also put their questions and seek clarifications.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): What we will do is that let the Ministers come at 5 o'clock as scheduled. You express whatever you want. We can postpone either the clarifications or the statements if they are so willing. So, let us hear Mr. Gautam on the Bill.

श्री संघप्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का आभार प्रदर्शित करना चाहता हूं कि मुझे आपने वक्तव्य को जारी रखने के लिए सहमति दी गई है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे भारतीय समाज में पहले इस प्रकार की मान्यताएं थीं कि कोई भी वृद्ध पुरुष हो या विधवा स्त्री हो, यदि वह संतान विहीन है अथवा उसकी कोई देखभाल करने वाला परिवारीय जन नहीं है, तब पड़ोस के या संबंधी लोग ही उनकी देखभाल या भरण पोषण कर दिया करते थे । उस समय लोगों में मानव मूल्यों में भी बड़ा भारी विश्वास था और मानवता के नाते भी लोग असहाय वृद्ध और बेवाओं की सेवा कर दिया करते थे । हमारी कुछ सामाजिक मान्यताएं पुराने युग पुरुषों की थीं। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि यदि माता-पिता को उनकी संतान जीवन भर बहंगी बनाकर अपने कंधों पर ढोए और उसी में वह मल-मूत्र करें, तब भी संतान माता-पिता के ऋण से मुक्त नहीं हो सकती । इसका उदाहरण इतिहास में भी पढ़ने को मिलता है श्रवण कुमार का, जिसने अपने अंधे माता पिता को जीवन भर अपने कंधों पर बहंगी में उठाया और उसी में उन्होंने मल-मूत्र किया था। मान्यवर, उस समय बेरोजगारी का आलम भी देखने को नहीं मिलता था, महंगाई भी नहीं थी, लेकिन आज परिस्थिति बिल्कुल बदल गई है । सामाजिक मान्यताएं बदल गई हैं, मानव मूल्यों में गिरावट आ गई है, पैतृक संबंधों की प्रगाढ़ता में भी कमी आई है और महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। ऐसी परिस्थिति में यह देखने को मिला है कि बहुत से वृद्ध जन, जिनकी संतान नहीं है अथवा जिनकी संताने बेरोजगार हैं और यदि रोजगार संयुक्त भी है तो वह मां-बाप की सेवा करना नहीं चाहते, तो ऐसे वृद्ध जन आज भरण-पोषण के लिए परेशान हैं । अनेकों इस तरह के विवाद आज न्यायालयों में देखने को और पढ़ने को मिलते हैं । प्राचीन काल में माता-पिता और वृद्ध जन के भरण-पोषण के विवादों की शायद ही कहीं चर्चा हुआ करती थी, लेकिन आज शायद ही कोई न्यायालय ऐसा होगा जहां पर इस प्रकार के विवाद विचाराधीन न हों । इसी प्रकार से पहले एक कठिनाई अवश्य थी कि यदि जवानी में कोई स्त्री विधवा हो जाए तो उसे पुनः विवाह करने की इजाजत नहीं थी, यद्यपि वह मानसिक कष्ट से बहुत पीड़ित रहती थी परन्तु पारिवारिक जन और पड़ोसी उसकी देख-रेख और भरण-पोषण कर दिया

[श्री गंग प्रिय गौतम]

करते थे । आज इस प्रकार की भी बहुत सी बातें देखने को मिलती हैं कि बेरोजगारी के कारण बहुत से बच्चे अपने माता-पिता की सेवा और भरण-पोषण नहीं कर पाते । यहां तक कि जिनके पास रोजगार भी है लेकिन अल्प वेतन भोगी कर्मचारी हैं या जिनको रोजाना वेतन पर काम करना पड़ता है और न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता, वे भी अपने माता-पिता का भरण-पोषण, नहीं कर पाते ।

मान्यवर, हमारे भारत की सभ्यता अलग रही है । पाश्चात्य सभ्यता का कम से कम इस मामले में हमने अभी अनुकरण नहीं किया है कि हम अपने माता-पिता को शैल्टर होम में भेजें । इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि जब पैतृक संबंधों की प्रगाढ़ता में कमी आई हो, मानव मल्यों में गिरावट आई हो, समाज की मान्यताएं बदली हों और मानव का मानव में विश्वास भी कम हुआ हो तथा महंगाई और बरोजगारी बढ़ी हो, तो व लोग जो संतानविहीन हैं, वद्ध हैं, जिनके पास कोई जमीन-जायदाद नहीं है, जिनकी आमदनी का कोई जरिया नहीं है और वे स्त्रियां या बेवाएं जो इस प्रकार की परिस्थितियों से पीड़ित हैं और उनकी देखभाल व भरण-पोषण के लिए कोई इनका जिम्मेदार आदमी या औरत नहीं है, और यह दायित्व सरकार का बन जाता है कि सरकार इस प्रकार के मानवीय

3.00 P.M. कर्त्तव्यों का निर्वाह स्वयं करे ।

मान्यवर, मेरे मित्र इसको दूसरी प्रकार से न लें। कुछ निर्णय न्यायालयों के इस कार के हो जाते हैं कि जब स्त्री और वृद्धों के भरण-पोषण की जिम्मेदारी उनके परिवारजनों से हटाकर और किसी दूसरे संस्थानों को दी जाती है तो परिस्थिति भी विचित्र हो जाती है। तो मान्यवर, इसलिये यह आवश्यक हो गया है कि सरकार अब इस दायित्व का निर्वाह करे और जितने वृद्धजन हैं और जितनी भी वेवाए हैं उनके भरण-पोषण की व्यवस्था समाज कल्याण विभाग के द्वारा जिस तरह से ओल्ड ऐज पेंशन दी जाती है, उसी प्रकार की व्यवस्था बवाओं के लिये भी की जाये।

जहां तक पैसे का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि आजकल की महंगाई में तीन सौ रुपये भी बहुत कम हैं और हमारे एक लायक दोस्त ने कहा भी है। लेकिन यह कोई आवश्यक नहीं है कि उनको पैसा ही दिया जाये। अगर सरकार यह व्यवस्था कर सके कि उनको कपड़े, उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था और उनकी बीमारी में दवाई की व्यवस्था यदि सरकार कर सके है और यदि कोई बेवा जिसके नाबलिग बच्चे हैं, उनके पढ़ाई-लिखाई की व्यवस्था सरकार कर सके चाहे उस पर कम खर्चा आये या ज्यादा आये, सरकार को यह व्यवस्था करनी ही चाहिये।

श्री पचौरी जी ने इस बिल को सदन के सामने लाकर एक बड़े ही पवित्र कार्य की ओर सदन और सरकार का ध्यान दिलाया है, मैं उनका आभारी हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री बिट्टलराव माधवराव जाधव : उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरे काबिल मित्र सुरेश पचौरी जी जो यह "वृद्ध व्यक्तियों और विधवाओं को वित्तीय राहत की व्यवस्था विधेयक, 1990" लाये हैं, मैं उसका पूरे तौर से समर्थन करता हूं । उपसभाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के बारे में उनकी जो भावना है और मानवता के प्रति उनका जो प्रेम है, वह व्यक्त होता है। इसलिये मैं अपने मित्र को प्रथम धन्यवाद देता ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि हमारे देश में और सारी दुनिया में 60 और 65 साल के ऊपर कितने लोग जीवित हैं? हमारे मुल्क में तो बहुत कम हैं, क्योंकि जो अपनी जवानी से लेकर 15–16 साल की उम्र से लेकर 50–60 साल तक काम करते

हैं, खेतों में मजदूरी करते हैं, कारखानों में काम करते हैं तो वह इस वजह से ज्यादा जीवित नहीं रह सकते। हमारे मुल्क में सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे देश का जो न्यूट्रीशन है, अपनी जनता को जो खाद्य देते हैं तो उसका न्यूट्रीशन केपेसिटी कैसे बढ़ायें, यह सबसे बड़ी समस्या है । हमारे देश की जितनी जरूरतें हैं उससे बहुत कम हम लोग पैदा करते हैं । पहला सवाल यह है कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ना चाहिये, उत्पादन बढ़ना चाहिये और जब खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ेगा, जब इण्डस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ेगा, जब हमारे देश की आर्थिक प्रगति होगी तो हमारी जो समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याए हैं जिसको मानवीय दृष्टि से सोचकर उसके क्या उपाय किये जायें, उस पर हम जरूर सोचेंगे।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह बात तो बिल्कुल सच है, जैसा कि मेरे मित्र ने कहा कि हमारे ग्रंथों में आया है कि श्रवण कुमार ने अपने माता-पिता की सेवा की थी और हमारे ग्रंथों में यह भी है कि 80–90 साल के द्रोणाचार्य जी और भीष्म महाभारत युद्ध करने गये थे । वे भी ताकतवर थे । तो वृद्ध भी शक्तिमान हो सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि वृद्ध आपसे लड़ाई करें, यह बात नहीं है। मगर जिनका दिमाग अच्छा चलता है वह लोग अपने देश की बहुत कुछ सेवा कर सकते हैं। हमारे पास अभी भी जो वृद्ध लोग हैं, जैसे बहुत बड़े देश के नेता हैं, जैसा कि आपने सुना होगा कि मोरारजी भाई करीब 95 साल के हैं, गुलजारी लाल नन्दा 90 साल के हैं और दो साईंटिस्ट हैं बहुत बड़े–– स्वामीनाथन रिटायर हुये हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े साईंटिस्ट समझे जाते हैं। यह जो हमारे सारे अनुभवी वृद्ध लोग हैं, जिन्होंने देश की बड़े पैमाने पर सेवा की है, उनका उपयोग अपने देश की प्रगति के लिये हम कैसे लें, यह बात हमारे सामने सबसे बड़ी है । इसमें दो राय नहीं हैं। पचौरी जी ने 300 रुपए की जो पेंशन मांगी है, उससे तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं क्योंकि नेशनल वेजेज पालिसी के अनुसार हर मजदूर को कम से कम प्रतिदिन बीस रुपए मजदूरी मिलनी चाहिए क्योंकि उसका लालन-पालन, खाने वगैरह का खर्च बीस रुपए से कम नहीं होता बल्कि महंगाई के बढ़ने की वजह से ज्यादा ही खर्च होता है । हम अगर एक मंत्री से मिलने जाते हैं तो 50–60 रुपए तो टैक्सी का ही बिल आ जाता है । इस बढ़ती हुई महंगाई में वृद्ध लोगों का जीवन कैसे सुखी बनाएं, यह विचारणीय बात है । यह 300 रुपए की बात नहीं है । अगर हम वेजेज पालिसी के हिसाब से चलें तो कम से कम 600 रुपए पेंशन मिलनी चाहिए । तो जैसे हमारी नेशनल वेजेज पालिसी है मजदूरों के बारे में, वैसे ही वृद्ध लोगों के लिए भी एक नेशनल पालिसी होनी चाहिए जो उनकी जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई जाए । आज तक के जो आकड़े हैं उनके अनुसार हमारे देश में 65 साल से ज्यादा की उम्र वाले लोगों की संख्या 50–60 लाख है । हमारे देश में अब औसत आयु बढ़ रही है। आगे चलकर इन लोगों की संख्या दो लाख, चार लाख तक पहुंच सकती है । तो ऐसे लोगों को कैसे राहत दी जाए, उनके ज्ञान का उपयोग इस देश की समस्याओं को सुलझाने के लिए कैसे किया जाए, यह सबसे बड़ी समस्या है और इसके बारे में हमें एक योजना बनानी पड़ेगी ।

केसरी जी अभी यहां उपस्थित नहीं हैं । केसरी जी एक स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने देश की आजादी के आंदोलन में भाग लिया । आज वे समाज-कल्याण मंत्री हैं । जिस तरीके से उन्होंने मंडल कमीशन और पिछड़ी हुई जातियों की समस्याओं को सुलझाया और सारे देश की जनता को राहत देने की कोशिश की, वह सहराहनीय है । एक स्वतंत्रता सेनानी होने के नाते उनके सामने एक दृष्टि है अपने देश

को बनाने की और आपस के झगड़े मिटाने की । आज वे समाज कल्याण विभाग संभाले हुए हैं और मुझे विश्वास है कि वे बड़े सक्षम मंत्री हैं। वे इसके बारे में बहुत गहराई से सोचेंगे और इस बारे में कोई एक अच्छा बिल हमारे सामने पेश करेंगे ।

हमारी पुरानी संस्कृति यह थी कि जब हम बाहर निकलते थे तो अपने मां-बाप के पैर छूकर निकलते थे । अब हम इससे दूर होते जा रहे हैं । हमारे वृद्ध माता-पिता तो 70–80 साल से ऊपर हैं और अब हमारी नई जनरेशन आ रही है । इस नई जनरेशन पर पाश्चात्य संस्कृति का इंपैक्ट बहुत बढ़ता जा रहा है । हमारे वृद्धों को कोई आधार दिखाई नहीं दे रहा है । हमारे सारे जीवन-मूल्य, हमारी पुरानी संस्कृति नष्ट हो रही है । राम और कृष्ण ने रामायण और गीता में हमें जो पढ़ाया है, उसे नई जनरेशन सीरियल के माध्यम से देखकर ही थोड़ा-बहुत जान पाई है । रामायण और महाभारत का अध्ययन उनको नहीं कराया गया है । अब इस वातावरण में हम हमारे वृद्ध लोगों की सेवा कैसे करें, यह समस्या हमारे सामने है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, वृद्धों को राहत और संरक्षण देकर हम अपने पुराने ज्ञान और संस्कृति का संरक्षण करने जा रहे हैं । एक तरीके से यह बहुत जरूरी भी है कि उनको कुछ राहत दी जाए । अभी कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं, कुछ वृद्धाश्रम हैं और कुछ और भी योजनाएं चलाई जा रही हैं । जो संस्थाएं इन वृद्धाश्रमों को अच्छे तरीके से चला रही हैं उनका हम स्वागत करते हैं और उन पर हमें गर्व भी है लेकिन बहुत सारे लोग वृद्धों के नाम पर संस्थाएं चलाते हैं और वृद्धों को कुछ नहीं देते हैं और उनके नाम से पैसा बटोरकर खुद खा जाते हैं । साथ ही समाज में एंटी सोशल एलिमेंट्स भी बढ़ रहे हैं । ऐसे तत्वों की पूरी इंक्वायरी सरकार के माध्यम से होनी चाहिए । सरकार को इस बात की जांच भी करानी चाहिए कि ऐसे कितने वृद्धाश्रम चल रहे हैं, उनमें कितने लोग रह रहे और उनको क्या सुविधाएं मिल रही हैं । यह देखना जरूरी है कि ये संस्थाएं किसी की मिल्कियत न बनें या कोई उनका फायदा न उठाए । हमारे राष्ट्र का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह जो भी आदमी इस देश में 65 साल से ऊपर है उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार को उठानी चाहिए और इसके सरकार को एक राष्ट्रीय वृद्ध नीति बनानी चाहिए, नेशनल ओल्ड मैन पालिसी बनानी चाहिए । उसकी क्या-क्या जरूरतें हैं, कितना उसको कपड़ा लगता है, कितना उसके आरोग्य के लिए चाहिए, कितना उसके ओढ़ने के लिए चाहिए, इन सारी बातों को जोड़कर एक पालिसी बनानी चाहिए और उसको पूरी तरह से राहत देनी चाहिए । यह बहुत जरूरी बात है ।

श्रीमन्, मेरे मित्र ने दूसरी बात विधवाओं की उठाई है । विधवाओं की समस्या बड़ी जटिल है । हम देखते हैं कि 20–25 साल की लड़कियां विधवा हो जाती हैं तो हमारी संस्कृति के अनुसार वह दूसरा विवाह नहीं कर सकतीं । उनको जीवन भर जो नरक यातना भोगनी पड़ती है उसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए । ऐसा किसी भी ग्रंथ में, किसी भी संस्कृति में नहीं लिखा है कि अगर 20–25 साल की औरत का पति मर जाए और वह विधवा हो जाए तो वह दूसरा विवाह न करे । यह तो हमारे देश की संस्कृति के ठेकेदारों ने परंपरा बना रखी है कि विधवाएं दूसरी शादी नहीं कर सकतीं या दूसरी शादी करना पाप है । ऐसे ठेकेदारों को हमें समाप्त करना चाहिए । यह भी कानून बनाना चाहिए कि जो भी युवती विधवा हो जाती है वह दूसरी शादी कर सकती है । उसकी जिम्मेदारी सरकार की और समाज की उठानी चाहिए । अगर इसके बावजूद भी वह शादी नहीं करना चाहती है तो उनका पूरा उत्तरदायित्व देश पर और राज्य पर और समाज पर होना चाहिए । उसको पूरी राहत देने की कोशिश करनी चाहिए । विधवाओं की अवस्था चाहे वह पुरुष हो

[श्रीविट्ठलराव माधवराव जाधव]

या स्त्री हो सभी की समस्या एक सी है हालांकि पुरुष अपना मनोरंजन बाहर कर सकता है, लेकिन औरत के लिए यह भी संभव नहीं होता । तो मेरा अनुरोध है कि हमारी विधवा बहनों की जो जटिल समस्या है, उनकी जो संतानें हैं उनको शिक्षा देने की पूरी जिम्मेदारी सरकार को राज्य सरकार को या केन्द्र सरकार को उठानी चाहिए । उनको इतनी पेंशन दी जानी चाहिए कि उससे उनका निर्वाह हो सके, उनके बच्चों की पढ़ाई हो सके, उनके आरोग्य की व्यवस्था हो सके । आगे जाकर ऐसी लड़के या लड़कियां जो हों उनको सरकारी नौकरियों में प्रमुखता दी जाए । अगर उनको इस प्रकार की सुरक्षा दी जाती है तो हम सही तरीके से राम और कृष्ण ने हमें अपने उपदेशों द्वारा जो संस्कृति दी है उसको हम सही मायनों में उजागर कर सकेंगे । यह संस्कृति राम और कृष्ण के मंदिर बनाकर जागत नहीं होगी । जब हम उनके उपदेशों के अनुसार उनकी शिक्षा पर अमल करेंगे, जो मानवता का नारा हमारे देश के महापुरुषों ने दुनिया को दिया है उसको जब हम याद करेंगे, भगवान राम, कृष्ण, स्वामी विवेकानन्द को याद करेंगे तब हम पूरी जो मानवता का धर्म है उसका पालन करेंगे । महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू ने हमें यही सिखाया है । राष्ट्रमाता इंदिरा जी ने यही रास्ता हमको दिखाया है कि आप दूसरों के लिए त्याग करना सीखो, देश के लिए बलिदान करना सीखो । इसीलिए जो हमारी विधवा मां और बहिनें हैं, उनकी सुरक्षा करना हमारा राष्ट्रीय और नैतिक कर्तव्य है । अगर यह हम पूरी जिम्मेदारी से निभाएं तो हमारे समाज में विधवाओं का उत्थान हो सकता है सरकार को और समाज को उसके लिए पूरी जम्मेदारी उठानी चाहिए ।

श्रीमन् इस बिल में मेडिकल एड देने की बात भी मेरे मित्र ने कही है । इस बिल में कहा गया है कि मेडिकल एड में उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए । मैं तो कहूंगा कि एक सर्व किया जाए और उनका हर हफ्ते या 15 दिन में हेल्थ चैक अप किया जाए और उसके अनुसार उनको मेडिकल एड दी जाए । ये मेरे कुछ सुझाव हैं ।

अंत में उपसभाध्यक्ष महोदय आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया है और मेरे मित्र ने जो यह विधेयक रखा है इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और एक बार फिर सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस देश के वृद्ध लोगों के लिए जो 60 साल से ऊपर हैं और जो नरक यातनाएं आज हमारी विधवाएं भोग रही हैं उनको राहत दी जाए और अपनी एक ऐसी राष्ट्रीय नीति बनायें जिससे भारत का नाम सारे विश्व में एक मानवतावादी देश के नाम पर आदर्श राष्ट्र के रूप में देखा जा सके । इन्हीं भावनाओं के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं ।

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ भीम अफजल: मोहतरम वाइस चेयरमैन साहब, जइफुल उम्र लोगों और बेवाओं की मआशी राहत के सिलसिले में हमारे नौजवान मेम्बर सुरेश पचौरी साहब ने जो बिल पेश किया हैं उससे न सिर्फ मुझे बेहद खुशी हुई है बल्कि यह अहसास भी जगा हैं कि जहां इस दौर में श्रवण कुमार जैसे नौजवान नजर नहीं आते वहां सुरेश पचौरी जैसे नौजवान जरूर नजर आते हैं जिनको अपने देश की समान्तर आबादी में रहने वाले जइफुल उम्र लोगों और बेवाओं के मसले पर इतना दुख हैं । वे उनके बारे में इतना सोच सकते हैं ।

मोहतरम, मुझे इस बिल के अन्दर हिन्दुस्तान की 90 फीसदी अवाम की तस्वीर नजर आती हैं । इस बिल में मुझे हर बच्चे, हर जवान और हर अधेड़ उम्र की औरत और मर्द की तस्वीर नजर आती हैं । हमको सभी को किसी न किसी स्टेज पर बुढ़ापे का सामना करना हैं । मामला सिर्फ 300 रुपये राहत देने का नहीं है बल्कि मामला एक ऐसा अहसास पैदा करने का है कि हमारे समाज के अंदर जो बूढ़े लोग हैं, जो बेवाएं हैं उन्हें

यह अहसास हो सके कि वे किसी के रहमोकरम पर नहीं हैं बल्कि उन्होंने अगर इस मुल्क में जन्म लिया है, इस सरजमीन पर जन्म लिया है, अगर सारी जिन्दगी इसकी खिदमत की हैं, अगर सारी जिन्दगी इसके लिए टैक्स दिये हैं तो आखिरी उम्र में इस सरजमीन ने उनको इस काबिल समझा है कि वे आराम से अपनी जिन्दगी गुजार सकें । यह कोई अहसान नहीं हैं जो कोई सरकार या कोई माशरा अपने बूढ़ों पर करने जा रहा है । बल्कि मैं समझता हूं ऐसा बुनियादी हक है जिसको तसलीम करके हम देश की परम्परा, देश की कल्चर और देश की जो तहजीब और तमद्दुन है उसको उतना ही उज्जवल रख सकते हैं जितना उज्जवल वह माजी में नजर आता है । हमारे दोस्त संघ प्रिय गौतम ने श्रवण कुमार की मिसाल दी । वह श्रवण कुमार जो अपने कंधों पर मां बाप को लेकर सारी जिन्दगी फिरता रहा लेकिन आज माशरे में तबदीली आ गई हैं । जितनी मेटीरियलिस्टिक लाइफ हो गई हैं उसमें तो मुझे ऐसा लगता है कि हर नौजवान बूढ़े को देखकर यह कह रहा है : तुम्हारे गम के सिवा और भी तो गम हैं मुझे, निजात जिनसे मैं इकलफ पा नहीं सकता ।

वह दूसरे मामलात में घिरा हुआ है । बेवाओं का जो मसला है इस मुल्क के अंदर और जिस तरह से हमारे यहां बेवाओं के साथ सलूक किया जाता हैं उस पर रोशनी मेरे सारे फाजिल मेम्बरान ने डाली है । मैं समझता हूं राज्य सभा के ढाई सौ मौजिज पार्लियामेंट के मेम्बरान में से तकरीबन 10 फीसदी लोग इस पर बातचीत कर चुके हैं और किसी ने भी एक हल्के इशारे में भी इस बिल की मुखालिफ़त नहीं की है । मैं समझता हूं यह हाउस के सेंटीमेंट्स हैं । पार्टियों से ऊपर उठकर के और सियासी ख्यालात से ऊपर उठकर समाज की बेहतरी के लिए अगर किसी तरफ से कोई प्रोपोजल आयी है तो सब ने डट कर इसकी हिमायत की है ।

केसरी जी यहां पर तशरीफ फरमाते हैं और केसरी जी ने बिना शुबहा आजादी के पहले और आजादी के बाद के हिन्दुस्तान को अपनी आंखों से न सिर्फ देखा है बल्कि इस हिन्दुस्तान को परखा भी हैं । वे इसको चलाने में बहुत बड़े इंसान साबित हुए हैं । जब से वे वजीरे बहबूद हुए हैं, मैं यह महसूस करता हूं कि उनकी यह ख्वाहिश है कि ज्यादा से ज्यादा भलाई और बहबूदी के काम करने की वे कोशिश कर रहे हैं । मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वे इसको प्राइवेट मेम्बर का बिल न समझें, बल्कि मैं समझता हूं कि इसको वे पूरे हाउस की तरफ से एक बिल समझें और इसको पास करने के लिए उनको आगे आना चाहिए।

मोअतरिम, इस मुल्क में जो बूढ़े लोग हैं, 1991 की आबादी शुमार के मुताबिक उनकी तादाद 5.5 करोड़ है और जो बेवायें हैं उनकी तादाद 2.5 करोड़ है । कुल मिला करके मेरा ख्याल हैं कि इस पर 6 करोड़ रुपये सालाना खर्च आता हैं । देश की जो मासी हालात हैं उसे हमें सामने रखना हैं तो मैं समझता हूं कि इसमें जो सरकारी मुलाजमीन हैं, जो पब्लिक सेक्टर के मुलाजमीन हैं और जो कारखानों और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, उन सभी से अपील करनी चाहिए और एक कांसेन्सेस बनाना चाहिए कि अगर उनकी तनख्वाह में से एक रुपया, दो रुपये या पांच रुपये इन बूढ़ों और बेवाओं के लिए डिडक्ट करें तो मैं समझता हूं कि किसी को आपत्ति नहीं होगी । इस मुल्क में लोग दूसरे को तकलीफ में देख कर अपने तन के कपडे उतार कर दे देते हैं तो अपने घर के बूढ़ों और अपने समाज की बेवाओं के लिए वे एक रुपया, दो रुपये और पांच रुपये देने में कभी एतराज नहीं करेंगे । मैं समझता हूं कि इन छः करोड़ रुपयों को बड़ी आसानी से हुकूमत पर ज्यादा भार डाले बगैर हम अवाम से हासिल कर सकते हैं, बशर्ते कि नियत नेक हों, हमारे काम करने का जजबा पूरी तरह से सही

[श्री विट्ठलराव माधवराव जाधव]

हो । माअतरिम, उड़ीसा गवर्नमेंट इस सिलसिले में कुछ काम कर रही है । मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ दूसरी स्टेट गवर्नमेंट्स भी कुछ न कुछ दे रही हैं । कहीं पर सौ रुपये माहवार बूढ़ों और बेवाओं को पेंशन के तौर पर मुकर्रर किये गये हैं । इस बारे में हमारे फाजिल मेम्बरों ने कहा है कि तीन सौ रुपये भी बहुत कम हैं । लेकिन जब किसी काम की शुरूआत करनी होती है, जब किसी नेक काम की शुरूआत करनी होती है तो मैं समझता हूं कि मदद सिर्फ नीचे से नहीं होती, बल्कि ऊपर वाला भी इस काम में मदद करता है । मैं इस हाउस के माध्यम से पहले उड़ीसा सरकार को मुबारकवाद दूंगा और बाद में उनसे गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि वे इसमें इजाफा फरमायें और मरकजी हुकूमत इस पर खास-तौर पर तवज्जह दे । हमारे केसरी जी यहां पर तशरीफ फरमाते हैं । वक्फ का महकमा उनके अन्डर में है । वक्फ की हिन्दुस्तान में करोड़ों रुपये की इलमात, बल्कि मैं समझता हूं कि अरबों रुपये की इलमात है । अगर केसरी जी इसकी तफ-सील में जायें तो उन्हें पता चलेगा कि जिस तरह से इस जायदाद का नाजायज इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह से वक्फ की इलमात पर कब्जा करके उसको ग्रीन लैण्ड डिक्लेयर किया जा रहा है, जिस तरह से उसकी आमदनी को घटाने की कोशिश की जा रही है उससे सिर्फ वक्फ से ताल्लुक रखने वाली माइनोरिटी कम्युनिटी को नुकसान नहीं हो रहा है बल्कि देश को भी नुकसान हो रहा है । मैं समझता हूं कि मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर हिन्दुस्तान की वक्फ की जायदाद की आमदनी को ठीक ढंग से इकट्ठा किया जाय और उसको वाकिफ़ की मर्जी और मंशा के मुताबिक जैसा कानून है, इस्लामी ला है, परसनल ला है, उसको भलाई और बहबूदी के लिए खर्च किया जाय तो मैं दावे से कहता हूं कि जितने भी मुसलमान की आबादी में रहने वाले बूढ़े और बेवाएं हैं वे ऐसी नहीं बचेंगी जिनकी सरकार की तरफ से किसी इम-दाद की जरूरत पड़े । तो मैं समझता हूं कि एक हिस्से को अगर हम खास तौर पर तवज्जो दें तो इस मसले को अलाहिदा से भी हल करने की कोशिश की जा सकती है । मेरा मतलब यह नहीं है कि सिर्फ उनके मसले को हल कर दिया जाय लेकिन मेरा सुझाव है कि आप ही का महकमा है इसलिए अगर तवज्जो दें तो कम से कम इस बोझ को एक बड़ी हद तक कम किया जा सकता है । केसरी जी नया वक्फ एक्ट ला रहे हैं, मैं इसके लिए उनको मुबारकवाद देता हूं । मैं समझता हूं एक तारीखी काम वह करने जा रहे हैं । उन्होंने एक मीटिंग भी बुलाई थी और उसके अन्दर सुझाव भी मांगे थे । मैंने उस वक्त भी अर्ज किया था । दरअसल नेकनीयती की जरूरत है । अगर नेकनीयती नहीं होगी तो हम कैसा भी बिल ले आएं, कितना भी पैसा दे दें सही लोगों तक वह चीज नहीं पहुंच पाएगी । हम को इस सिलसिले में बहुत ही ईमानदारी और नेकनीयती से काम करना चाहिये । मैं इन चंद टूटे-फूटे अल्फाज के साथ निहायत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और एक बार फिर अपने भाई सुरेश पचौरी जी को मुबारकवाद देता हूं कि उन्होंने यह बिल पेश करके हम जैसी नौजवान नस्ल को इस पार्लियामेंट में शर्मिंदा होने से बचाया है । आगे कौम पर डिपेंड करता है कि वह आवाम के लिए क्या करती है । बहुत बहुत शुक्रिया ।

شری محمد افضل عرف میم افضل :
"اتر پردیش"... محترم وائس چیرمین صاحب
ضعیف العمر لوگوں اور بیواؤں کی معاشی راحت
کے سلسلے میں ہمارے نوجوان ممبر سریش
پچوری صاحب نے جو بل پیش کیا ہے اس
سے نہ صرف مجھے بے حد خوشی ہوئی ہے
بلکہ یہ احساس بھی جاگا ہے کہ جہاں اس
دور میں نوجوان کمار جیسے نوجوان نظر نہیں

آتے وہاں سریش پچوری جیسے نوجوان ضرور نظر آتے ہیں جن کو اپنے دیش کی تمام تر آبادی میں رہنے والے ضعیف العمر لوگوں اور بیواؤں کے مسئلہ پر اتنا دکھ ہے۔ وہ ان کے بارے میں اتنا سوچ سکتے ہیں۔

محترم مجھے اس بل کے اندر ہندوستان کی ۹۰ فیصدی عوام کی تصویر نظر آ رہی ہے۔ اس بل میں مجھے ہر بچہ۔ ہر جوان اور ہر ادھیڑ عمر کی عورت اور مرد کی تصویر نظر آتی ہے۔ ہم کو سبھی کو کسی نہ کسی سٹیج پر بڑھاپے کا سامنا کرنا ہے۔ معاملہ صرف ۳۰۰ روپیہ راحت دینے کا نہیں ہے بلکہ معاملہ ایک ایسا احساس پیدا کرنے کا ہے کہ ہمارے سماج کے اندر جو بوڑھے لوگ ہیں جو بیوائیں ہیں انھیں یہ احساس ہو سکے کہ وہ کسی کے رحم و کرم پر نہیں ہیں بلکہ انھوں نے اگر اس ملک میں جنم لیا ہے اس سرزمین پر جنم لیا ہے اگر ساری زندگی اس کی خدمت کی ہے اگر ساری زندگی اس کے لیے ٹیکس دیے ہیں تو آخری عمر میں اس سرزمین نے ان کو اس قابل سمجھا ہے کہ وہ آرام سے اپنی زندگی گذار سکیں۔ یہ کوئی احسان نہیں ہے جو کوئی سرکار یا کوئی معاشرہ اپنے بوڑھوں پر کرنے جا رہا ہے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں ایسا بنیادی حق ہے جس کو تسلیم کر کے ہم اس ملک کی روایت کلچر اور ملک کی جو تہذیب و تمدن ہے اس کو اتنا ہی شاندار رکھ سکتے ہیں جتنا شاندار وہ ماضی میں نظر آتا ہے۔

ہمارے فاضل ممبر سنگھ پریم گوتم نے شروان کمار کی مثال دی۔ وہ شروان کمار جو اپنے کاندھوں پر ماں باپ کو لے کر ساری زندگی پھرتا رہا۔ لیکن آج معاشرہ میں تبدیلی آگئی ہے جتنی ساری زندگی ہو گئی ہے اس میں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر نوجوان بوڑھے کو دیکھ کر یہ کہہ رہا ہے...

تمہارے غم کے سوا اور بھی تو غم ہیں مجھے
نجات جن سے میں یک لخت پا نہیں سکتا...

وہ دوسرے معاملات میں گھرا ہوا ہے۔ بیواؤں کا جو مسئلہ ہے اس ملک کے اندر اور جس طرح سے ہمارے یہاں بیواؤں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے اس پر کئی فاضل ممبران نے روشنی ڈالی ہے۔ میں سمجھتا ہوں راجیہ سبھا کے ڈھائی سو معزز پارلیمنٹ کے ممبران میں سے تقریباً دس فیصدی لوگ اس بل پر بات چیت کر چکے ہیں اور کسی نے بھی ایک ہلکے سے اشارہ میں بھی اس بل کی مخالفت نہیں کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے ہاؤس کا جذبہ ہے "پارٹیوں سے

اوپر اٹھ کر کے اور سیاسی نظریات سے اوپر اُٹھ کر سماج کی بہتری کے لیے اگر کسی طرف سے کوئی تجویز آئی ہے تو سب نے ڈٹ کر اس کی حمایت کی ہے۔ سیتارام کیسری جی یہاں پر تشریف فرما ہیں اور کیسری جی نے بلاشبہ آزادی کے پہلے اور آزادی کے بعد کے ہندوستان کو اپنی آنکھوں سے نہ صرف دیکھا ہے بلکہ اس ہندوستان کو پرکھا بھی ہے۔ وہ اس کو چلانے میں بہت بڑے معاون رہے ہیں۔ جب سے وہ وزیر بہبود ہوئے ہیں۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ان کی یہ خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ بھلائی اور بہبودی کے کام کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ میں ان سے گذارش کرتا ہوں کہ وہ اس کو پرائیویٹ ممبر کا بل نہ سمجھیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو وہ پورے ہاؤس کا بل سمجھیں اور اس کو پاس کرنے کے لیے ان کو آگے چلنا چاہیے۔

محترم۔ اس ملک میں جو بوڑھے لوگ ہیں 1991 کے اعداد و شمار کے مطابق ان کی تعداد ۵ر۵ پوائنٹ ۵ کروڑ ہے اور جو بیرائن ہیں ان کی تعداد ۲ر۵ پوائنٹ ۵ کروڑ ہے کل ملا کر کے میرا خیال ہے کہ اس پر ۶ ہزار کروڑ روپیہ سالانہ خرچ آتا ہے۔ دیس کی جو معاشی حالت ہے اسے ہمیں سامنے رکھنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو سرکاری ملازمین ہیں۔ جو پبلک سیکٹر کے ملازمین ہیں اور جو کارخانوں اور پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان سبھی سے اپیل کرنا چاہیے اور ایک رائے عامہ بنانا چاہیے کہ اگر ان کی تنخواہ میں سے ایک روپیہ دو روپیہ یا پانچ روپیہ ان بوڑھوں اور بیواؤں کے لیے لے لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کس کو اعتراض نہیں ہوگی۔ اس ملک میں لوگ دوسرے کو تکلیف میں دیکھ کر اپنے تن کے کپڑے اتار کر دے دیتے ہیں تو اپنے گھر کے بوڑھوں اور اپنے سماج کی بیواؤں کے لیے وہ ایک روپیہ دو روپیہ اور پانچ روپیہ دینے میں کبھی اعتراض نہیں کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان ۶ ہزار کروڑ روپیوں کو بڑی آسانی سے حکومت پر زیادہ بھار ڈالے بغیر ہم عوام کے ذریعہ حاصل کر سکتے ہیں۔ بشرطیکہ نیت نیک ہو۔ ہمارے کام کرنے کا جذبہ پوری طرح سے صحیح ہو۔ محترم اڑیسہ گورنمنٹ اس سلسلہ میں کچھ کام کر رہی ہے۔ مجھے اس بارے میں زیادہ جانکاری نہیں ہے لیکن کچھ دوسری اسٹیٹ گورنمنٹیں بھی کچھ نہ کچھ دے رہی ہیں۔ اڑیسہ سرکار نے سو روپیہ ماہوار بوڑھوں اور بیواؤں کو پنشن

کے طور پر مقرر کیئے گئے ہیں اس بارے میں ہمارے فاضل ممبروں نے کہا ہے کہ تین سو روپیہ بھی بہت کم ہیں لیکن جب کسی نیک کام کی شروعات کرنی ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مدد صرف نیچے سے نہیں ہوتی بلکہ اوپر والا بھی اس کام میں مدد کرتا ہے۔ اس بل کے ذریعہ میں پہلے اڑیسہ سرکار کو مبارکباد دوں گا اور بعد میں ان سے گذارش کروں گا۔ اپیل کروں گا کہ وہ اس میں اضافہ فرمائیں اور مرکزی حکومت اس پر خاص طور پر توجہ دے۔ ہمارے کیسری جی یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ وقف کا محکمہ ان کے انڈر میں ہے۔ وقف کی ہندوستان میں کروڑوں روپیہ کی املاک ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اربوں روپیہ کی املاک ہے اگر کیسری جی اس کی تفصیل میں جائیں تو انھیں پتہ چلے گا کہ جس طرح سے اس جائیداد کا ناجائز استحصال کیا جا رہا ہے۔ جس طرح سے وقف کی املاک پر قبضہ کر کے اس کو گرین لینڈ ڈکلیر کیا جا رہا ہے۔ جس طرح سے اس کی آمدنی کو گھٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سے صرف وقف سے تعلق رکھنے والے اقلیتی فرقے کو نقصان نہیں ہو رہا ہے بلکہ ملک کو بھی نقصان ہو رہا ہے کہ میرے اندازے کے مطابق اگر ہندوستان کی وقف کی جائیداد کی آمدنی کو ٹھیک ڈھنگ سے اکٹھا کیا جائے اور اس کو وقف کی مرضی منشاء کے مطابق جیسا قانون ہے۔ اسلامی لاء ہے۔ پرسنل لاء ہے اس کو بھلائی اور بہبودی کے لیے خرچ کیا جائے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جتنے بھی مسلمانوں کی آبادی میں بوڑھے اور بیوائیں ہیں ان میں سے کسی کو سرکار کی طرف سے کسی امداد کی ضرورت نہیں رہے گی۔

تو میں سمجھتا ہوں اس مسئلہ کو اس علیحدہ طریقے سے بھی حل کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ان کے مسئلہ کو حل کر دیا جائے لیکن میری تجویز کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہی کا محکمہ ہے اس لیے اگر توجہ دیں تو کم سے کم اس بوجھ کو ایک بڑی حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ کیسری جی نیا وقف ایکٹ لا رہے ہیں۔ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ایک تاریخی کام وہ کرنے جا رہے ہیں۔ انھوں نے ممبران پارلیمنٹ کی ایک میٹنگ بھی بلائی تھی اور اس کے اندر تجاویز مانگی تھیں۔ میں نے اس وقت بھی یہی سب کچھ عرض کیا تھا۔ دراصل نیک نیتی کی ضرورت ہے اگر نیک نیتی نہیں ہوگی تو ہم کیسا بھی بل لے آئیں کتنا بھی پیسہ دے دیں صحیح لوگوں

تک وہ چیز نہیں پہنچ پائے گی۔ ہم کو اس سلسلے میں بہت ہی ایمانداری اور نیک نیتی سے کام کرنا چاہیے۔ میں ان چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ نہایت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا اور ایک بار پھر اپنے بھائی سریش پچوری جن کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انھوں نے بوڑھوں اور بیواؤں کے سلسلہ میں یہ بل پیش کر کے ہم جیسی نوجوان نسل کو اس پارلیمنٹ میں شرمندہ ہونے سے بچایا ہے۔ اب یہ حکومت پر ہے کہ وہ عوام کیلئے کیا کرتی ہے؟ بہت بہت شکریہ۔

"ختم شد"

श्री ईशदत्त यादव (उत्तर प्रदेश) माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, श्री सुरेश पचौरी जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं इसका समर्थन करता हूं और इसका स्वागत करता हूं । सुरेश पचौरी जी ने वृद्धों और विधवाओं के प्रति जो दया और सहानुभूति जताई है, इसके लिए भी मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं । इसे विषय पर मैं कोई लम्बी बात नहीं करना चाहता क्योंकि इस सदन के प्रायः सभी माननीय सदस्यों की एक ही भावना है कि वृद्धावस्था जब किसी व्यक्ति की हो जाती है या कोई महिला जब विधवा हो जाती है तो उसकी समाज में बहुत उपेक्षा होती है । उपेक्षा ही नहीं होती है बल्कि उसके खाने-पीने, कपड़े तथा दवा की कोई व्यवस्था नहीं होती । उसका जीवन स्वयं उसके लिए भार हो जाता है। हमारे देश पर पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का जो प्रभाव पड़ा है हम समझते हैं यह इसी का दुष्परिणाम है । क्योंकि पूर्व में हमारे देश की जो सभ्यता और संस्कृति रही है या जो सामाजिक मान्यता रही है, वह वृद्ध, विधवा और माता-पिता की सेवा की भावना रही है । लेकिन पाश्चात्य सभ्यता ने इस भावना को समाप्त कर दिया है। पूर्व में अपने देश की संस्कृति में यह भी रहा है कि वृद्धावस्था प्राप्त कर लेने के बाद व्यक्ति अपने घर पर नहीं रहता था और शायद राजा के लिए भी यह व्यवस्था थी । राम चरित् मानस में भी यह लिखा है—

चौथा पन नृप कानन जाहि ।

ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम की अवस्था आ जाती थी या जब चौथा पन आ जाता था तो वह स्वयं जंगल को चला जाया करता था । लेकिन आज स्थिति यह नहीं है । आज स्थिति भिन्न हो गई है । समाज में जो वृद्ध हैं, विधवाएं हैं उनकी दुर्दशा देख करके सभी लोगों को परेशानी होती है, करुणा आती है । इसलिए उनका जीवन सम्मानजनक व्यतीत हो सके, सुख से व्यतीत हो सके, सरकार को चाहिये कि इस तरह का कोई विधेयक लाए कि उनको आर्थिक सहायता दी जा सके, पेंशन दी जा सके । हमारे माननीय समाज कल्याण मंत्री जी तो बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं । मैं समझ रहा था कि वह सो रहे हैं लेकिन मुझे ऐसा आभास हुआ कि नहीं वह इसपर चिंतन कर रहे हैं और शायद इस तरह का कोई विधेयक वह प्रस्तुत करेंगे । कितने रुपये की सहायता दी जाए, कितने रुपये

की पेंशन दी जाए मैं इसके विवाद में नहीं जाना चाहता । यह तो सरकार के बजट और सामर्थ्य पर निर्भर करता है। लेकिन एक सुझाव जरूर देना चाहता हूं जो संभवत पचौरी जी के विधेयक में नहीं होगा मैं यह चाहता हूं कि विधवाओं और वृद्धों को पेंशन तो दी जाए लेकिन उनको कुछ सुविधाएं भी दी जाएं। किसी वृद्ध को किसी विधवा को मान लें 5 सौ रुपये पेंशन दे दें और महंगाई 5 हजार रुपये के बराबर बढ़ जाए तो 5 सौ रुपया उसके लिए व्यर्थ है । उससे काम नहीं चलेगा इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार जब इस तरह का विधेयक प्रस्तुत करे तो उसमें एक चीज की यह भी सुविधा की जाए कि वृद्ध अथवा विधवाएं जो इस तरह की पेंशन प्राप्त करने वाले हैं वे जब सरकारी दुकानों या प्राइवेट दुकानों पर भी सामान, कपड़ा, दवा या खाने आदि की सामग्री खरीदने के लिए जाएं तो जो सामान्य रेट है उस रेट के बजाये उनको वे सामान कम रेट पर दिये जाएं। बहुत से मुल्कों में इस तरह का प्रयोग हुआ है । इस तरह का एक अथारिटी लेटर उनको मिलना चाहिए । चार रुपये का एक किलो आटा अगर दिल्ली के बाजार में मिल रहा है तो वृद्धों अथवा विधवाओं को जिनको पेंशन दी जाती है उनको यह सुविधा मिलनी चाहिए कि वह आटा उनको एक रुपये किलो में मिले चाहे माननीय समाज कल्याण मंत्री जी को इसके लिए उस दुकान को सहायता देनी पड़े या जो सुविधा देनी पड़े सरकार दे। लेकिन यह सुविधा उनको अवश्य मिलनी चाहिए वरना, दो, तीन या पांच सौ रुपये पेंशन दे देंगे लेकिन उस पेंशन से कोई लाभ नहीं होगा । इस देश में भी इसका प्रयोग हुआ है। हरियाणा में जब चौधरा देवालाल जी मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने वृद्धों के लिए सौ रुपये पेंशन की व्यवस्था की । उत्तर प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह जी ने, जब मुख्य मंत्री थे तो पहले से जो 65 रुपये की पेंशन थी उसको उन्होंने बढ़ाकर सौ रुपये कर दिया था । उड़ीसा में भी सौ रुपये पेंशन थी...

श्री जगेश देसाई : महाराष्ट्र को आप भूल गये वहां तो सबसे पहले हुआ था।

श्री ईशदत्त यादव : महाराष्ट्र में भी है । हर प्रदेश सरकार ने कोशिश की । लेकिन इस सौ रुपये की पेंशन से कहीं किसी को लाभ नहीं मिल पाता है । सौ रुपये में उसको खाने के लिए गल्ला नहीं मिल पाता है, कपड़ा नहीं मिल सकता बीमार हो जाने पर दवा की व्यवस्था नहीं हो सकती इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करते हुए केवल पचौरी जी का जो बिल है उसका स्वागत करते हुए इसमें दो संशोधन करना चाहता हूं और माननीय समाज कल्याण मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि आप अपने रहते हुए पेंशन की व्यवस्था कराइये और उस पेंशन में यह व्यवस्था कराइये कि जो लोग पेंशन होल्डर हैं उनको सामान सस्ती दर पर मिले । इस तरह की आप व्यवस्था करें ।

दूसरी चीज यह है कि इनका जीवन सम्मानजनक रूप से व्यतीत हो सके इस पर भी सरकार को ध्यान देना होगा । इसके संबंध में भी कानून बनाना होगा कि जो विधवाओं की उपेक्षा करता है, जो वृद्धों को अपमानित करता है उनके लिए दण्ड की व्यवस्था होगी क्योंकि आज समाज में विधवा तिरस्कृत समझी जाती है ।

हमारे माननीय शिव प्रसाद मिश्रा जी बहुत जानकार हैं वेद, वेदांतों और शास्त्रों के, वे जानते हैं अगर कोई शुभ काम से जा रहा है और विधवा आगे आ गयी तो घर वापस चला जाएगा । इतना अपशकुन माना जाता है । शादी ब्याह में विधवा को अलग बैठाया जाता है । इस तरह से समाज में आज उसे अपमानित होना पड़ रहा है । इसके लिए भी सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए कि वृद्ध और विधवाएं समाज के अंदर सम्मान-जनक जीवन जी सकें । इन्हीं शब्दों के साथ मान्यवर मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं और पचौरी जी के विधेयक का जोरदार समर्थन करता हूं ।

SHRI SHIV PRATAP MISHRA (Uttar Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support the Financial Relief to Old Persons and Widows Bill, 1990, moved by my colleague, Shri Suresh Pachouri.

He has gone into the problem of widows and old persons. This is really a natural thing. In this world, whoever is born, has to grow and become old. If he does not die prematurely, he has to become old. Every person born in this world has to die one day. Exceptions were there in the Puranic days when persons like Sanatkumara, Markandeya and Hanuman were eternal. They do not die. In the Gita, Lord Krishna says:

गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणम् सुहृत् । प्रभवः प्रलयः स्थान निधानं बीज मव्ययम् ।

Lord Krishna says: 'I am the Creator' protect or and destroyer of all. Lord Krishna identifies himself with Brahma as well as with Prakriti. He says:

कहुना जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते । वासुदेवः सर्वमिति समहात्मां सुदुर्लभः।।

The person who is enlightened, who knows the truth, who knows the crux of the truth and who realises the truth, knows that everything is God. Lord Krishna says: 'I am that God. I am the Creator I am the cause of sustenance of all living beings. Everything dissolves in me'.

Therefore, whoever is born in the world has to grow old and die one day. It is certain that every person who is born has to die one day and every person who dies is born again till he attains liberation Religion preaches only this. The entire aim of all meditation and penance is to get rid of the body. When you die, you are sure to get the body again, whether it is subtle body or gross body. Therefore, the whole purpose of religion is that we should not get the body again after our death. This is liberation, this is *Nirvana* and this is everything. Old persons, in the ancient times, were our seers. They were the authors of Vedic hymns. Therein, it is said:

'Matru Devo Bhava

Pitru Devo Bhava

Guru Devo Bhava'

The Father, the Mother and the Guru were honoured. They were given places of honour. Later on also,

[Shri Shiv Pratap Mishra]

during the Puranic times, we find a Rishi praying to the Mother-Goddess:

"ममा पंचाशीतेर्डाधक कपनीते तुक्मसि"

He prays to the Mother-Goddess and says: I am eighty-five years old. I take refuge in you. Please forgive me for whatever sins I have committed'.

I can say that during the Vedic times, during the Upanishadic times and also during the Mahabharat *kal*, the contribution of old persons was considerable and they were very much honoured. We know about the *Saptha Rishis*. The *Saptha Rishi Mandal* is eternal in the sky. Therefore, in the Vedic times, as well as in the Mahabharat *kal*, whatever was achieved was achieved not at the young age, not at the adult age, but at the old age. We know that Bhisma could not be defeated by anyone. When the Pandavas went and asked him, 'Pitamah, how are you going to die?'

Bhisma explained how he was going to die.

We can say the same thing in regard to the freedom struggle. We know that Mahatma Gandhi became the Father of the Nation after the age of 77. Our Social Welfare Minister, Shri Sitaram Kesri, is above seventy. Whatever contribution he has made, I think, most of us cannot do so. Therefore, we should protect the old persons. The Census of 1981 says that in our country, old age comes at 55. Everybody retires at the age of fifty-eight. They get pension. In to 65 years. But whatever is achieved, it is achieved after the age of 55. Our marvalows Pandit Nehru became the first Prime Minister at the age of 57. But there is no problem for those who are under-employed or who have retired but are getting an opportunity to do some social service. The problem is faced by the poor old men who are not looked after, those who are living in villages, who are forlorn. That is why it was said

प्रथमेनर्जितम् विया हृतीये नार्जिमिमधनम्
तृतीये नार्जितम धर्मम चतुर्थे किं कारिष्यति

Meaning thereby, in the first phase of life if one is not educated, in the second phase if one does not get his livelihood, in the third phase if he is not enlightened and in the fourth phase of life if he is forlorn, he can do nothing. This is because of the disparity which was created in our society and this disparity is existing, rather growing. So, Mr. Suresh Pachouri has said that they should be looked after. Now it is said that this is a State matter. Some of the States are giving old-age pension, but what is the percentage of such beneficiaries? But then there are certain subjects wherein the Centre does give assistance. What happened in Uttar Kashi? There was an earthquake and the Centre is coming forward to help. So, where the States are not extending help to the old persons, the Centre must come to their help. This should be considered at the Central Government level. Shri Sitaram Kesri is the Minister of Welfare. He is benefiting the entire Congress party, being the Treasurer. Young ladies and young persons are benefited through him. He should also look after the old persons as well as widows, he must make some provision for that.

My friend Mr. Ish Dutt Yadav has rightly said that if a widow comes in front of any one, they say that this is a very bad time, it is inauspicious and we should not continue this journey. In ancient times we can see how much our old widows were honoured. In the annals of our Indian history there was only one golden empire and that was the Gupta empire. Ram Gupt was the most incapable emperor. Although he was young, he was killed by the second emperor because at that time the Shakya emperor said that Dhruva Swamini should be given to him. It is said in the historical chornicle that

स्त्रीवेषनिहतः चन्द्रगुप्तः शत्रो स्कन्धावार शकपति जयायागमत ।

means, Chandra Gupta, in the guise of a woman visited Shakya king and killed him. At that time all the scholars of India assembled at Prayag and formulated the law that

नष्टेमृते प्रव्रजिते क्लीवे च पतिते पतौ ।
पंचस्वापत्सु नारीणाम पतिरन्यो विद्यीयते ।।

If husband is dead, if husband is corrupt if he has renounced the life, if he becomes importent, if he becomes traitor, then in these circumstances the woman or his wife can remarry. So, at that time Chandra Gupta married Dhruva Swamini and the empire of Chandra Gupta was called the Golden Empire during the time of Chandra Gupta and Dhruva Swamini. Dhruva Swamini was considered the best administrator and there were also coins minted and circulated in her name in the country. Later on—I am comparing that period with the recent period; I am not going into the period in between—Ma Anandamayi, who was the guru of Pandit Nehru and Indiraji was there. She was honoured much. But those opportunities were available by access because politics is a game of contact, honour is a game of contact. If I have got the contact to be here, then only I am allowed to speak in this august House. But what about those poor widows, those who are living in the villages? It is said that during the Vedic period there was the joint family system and when the joint family system was there, nobody was feeling forlorn. Suppose, if a husband died and the widow was issueless, somebody would look after her. Now, in a family unit of just two persons, if the husband dies and if there is no child, the widow would be forlorn. There is no provision for her. So, I would like that there should be a provision for establishing homes to look after them and to remove hindrances in the way of alleviation of their problems.

In London, for example, if a woman becomes a widow, she gets a pension of ten pounds per week plus a flat. But in our country I find that most such women are begging. Go to Vrindavan or Kashi and you will find gangs of widows in those places.

AN HONOURABLE MEMBER: Mathura.

SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Yes, Mathura also. Everywhere it is so. If you go to Khwaja Ajmer—I have been there—and Vrindavan, everywhere, whether they are Hindu women or Muslim women, there is no provision for them. So far as other countries are concerned, according to the United Nations' report, by the year 2025 A.D., the census of widows and old persons would touch a figure beyond eight crores. It means eight crores of the existing society. Today we are talking about the Mandal Commission, backward people, poor people, about everyone, but we are not talking about widows and old people, those who are being tortured. I would certainly like that there should be a provision for them. We are certainly the citizens of this country and we are representing the whole nation of 80 crores in this august House. And the other House, Mr. Sitaram Kesri is here as the Minister of Social Welfare. So I would like to say that he should appoint a Commission to make a survey of the problems of these people and conduct a census in order to provide adequate help to

[Shri Shiv Pratap Mishra]

these people. If it is a State matter and if it is not being complied with, then it should be complied with by the Central Government.

Thank you very much, Sir.

डा० अदरार अहमद (राजस्थान) : उपसभाध्यक्ष महोदय, वृद्धावस्था की जहां तक बात है, यह प्रत्येक व्यक्ति के भविष्य का दर्पण है । इस दर्पण को देखकर स्वीकारना मानव का धर्म भी है, कर्त्तव्य भी है और सच्चाई भी है । जो इस दर्पण को देखकर नहीं स्वीकारता, मैं समझता हूं कि उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है । अगर कोई असामयिक घटना नहीं घटे तो यह निश्चित है कि प्रत्येक व्यक्ति को उस अवस्था से गुजराना है और आज हमारे देश में वृद्ध व्यक्तियों की क्या स्थिति है, वह किसी से छिपी नहीं है। इसे हम तरह तरह के पहलुओं से, तरह-तरह के मापदंडों से देख सकते हैं। मैं इसे एक दूसरे प्रकार से भी देखता हूं कि एक व्यक्ति जो इस देश में वृद्धावस्था में है, उससे चिंतित रहकर, सारी उम्र जितने भी गलत काम करता है, जितनी भी बेईमानी करता है वह इस बात को ध्यान में रखकर करता है कि बुढ़ापे का कोई इंतजाम हो जाय । बुढ़ापा अच्छी तरह से गुजर जाए। अगर सरकार उस बुढ़ापे की पहले से कोई व्यवस्था कर दे, पहले से कोई पेंशन बांध दे, उसकी बीमारी की पहले से कोई गारंटी दे दे कि 55 साल तक तुम्हें यहां काम करना है, उसके बाद सरकार ने तुम्हारे लिए व्यवस्था कर रखी है या 60 साल तक तुम अपनी आजीविका कमा सकते हो, उसके बाद सरकार ने तुम्हारी व्यवस्था कर रखी है, तुम्हारी बीमारी की व्यवस्था कर रखी है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज जो हमारे मुल्क में बेईमानी और भ्रष्टाचार आदि हैं, उनमें काफी हद तक कमी आ सकती है क्योंकि उस आदमी को अपने बुढ़ापे की चिंता नहीं रहेगी कि मेरे बुढ़ापे का क्या होगा या मेरा बुढ़ापा सही प्रकार से कटेगा या नहीं ।

महोदय, आज जिस प्रकार से पश्चिमी संस्कृति का हमारे देश के अंदर किसी हद तक असर आया है, उससे बुजुर्गों के मान और सम्मान में भी कमी आई है । अगर हम बुढ़ापे की पेंशन की व्यवस्था कर दें तो निश्चित रूप से उस मान और सम्मान में आने वाली कमी पर भी प्रभाव पड़ेगा । आज जितनी मंहगाई है, उसके अंदर अगर कोई जवान अवस्था के अंदर नौकरी करता है या किसी भी प्रकार से रोजी कमाता है तो उसको अपना और अपने बच्चों का पेट भरना भी दूभर होता है । ऐसी अवस्था में अगर उसके वृद्ध माता-पिता भी साथ हों, जिनकी भी वृद्ध अवस्था न कहकर बीमार अवस्था कही जा सकती है, तो मैं नहीं समझता कि जिस व्यक्ति के लिए अपने बच्चों का पेट भरना भी दूभर हो, वह किस प्रकार से अपने बूढ़े मां-बाप की देखभाल कर सकता है, उनके लिए दवा-दारू की व्यवस्था कर सकता है या उनका पेट भर सकता है । तो आदमी चाहते हुए भी, हम यह नहीं कहते कि हमारे देश के अंदर आज वह स्थिति आ गई है कि एक बेटा अपने मां-बप की देखभाल नहीं करना चाहता, उनको दवा-दारू नहीं देना चाहता, उनको अच्छे मकान में नहीं रखना चाहता, लेकिन उनकी भी मजबूरी है । जितने उनके पास साधन हैं, जितना वह कमाता है, जब उसमें वह अपने बच्चों को अच्छी तरह से नहीं रख सकता, कपड़े नहीं पहना सकता, पढ़ा नहीं सकता या खुद नहीं रह सकता तो कैसे वह अपने माता-पिता की देखभाल कर सकता है या दवा दारू कर सकता है । तो ऐसी स्थिति में अगर हम वृद्धों के बारे में सोचें, उनके लिए व्यवस्था करें, उनके लिए पेंशन की योजना लायें तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा और हमारे देश के वृद्धों के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी ।

जहां तक विधवाओं की बात सदन में आई और मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय श्री पचौरी जी को इस बात के लिए कि वे इस बिल को लाए । मुझे इस संबंध में बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है कि जो हमारी संस्कृति है और जो विधवाओं का स्थान हमारे देश में है, वह माननीय अध्यक्ष महोदय आपसे छुपा नहीं है । शुरूआत तो वहीं से होती है कि अगर किसी का पति मर जाता तो

सबसे पहले तो उस स्त्री को उसके साथ ही जलाने का प्रयास किया जाता है, जो मेरे प्रदेश राजस्थान के अंदर अभी चन्द बरसों पहले ही घटना घटी। उसके बाद भी अगर सरकार कोई बिल लाकर के या कानून से बचा लेती है या कुछ लोग खड़े होकर उसको बचा लेते हैं तो उसको किस प्रकार के लिबास पहनने के लिए बाध्य किया जाता है, किस प्रकार से एक कमरे में रहने के लिए बाध्य किया जाता है, किस प्रकार से चलने-फिरने के लिए बाध्य किया जाता है और शादी-ब्याह या समारोह, फंक्शन की जो बात ही अलग है। जैसा अभी माननीय सदस्य ने जिक्र किया कि किस प्रकार से उसकी उपेक्षा करके उन अवसरों पर उसे अलग रखा जाता है और जब एक विधवा अपनी रोटी-रोजी के लिए काम करना चाहती है तो जिसके साथ इतनी उपेक्षा की जाती रही हो उसे कौन अपने घर में घुसने देगा ? कौन उसको बर्तन मांजने देगा ? कौन उसको झाड़ू लगाने देगा ? यानी काम करके जो विधवा अपना पेट पालना चाहती हो और उसको अपना पेट पालने के लिए काम भी नहीं मिलता हो तो उसके बारे में यदि हम नहीं सोचेंगे या सदन नहीं सोचेगा, हम उसकी व्यवस्था की बात नहीं करेंगे तो यह बहुत बड़ा अनर्थ होगा।

बड़ी खुशी की बात है कि इस वक्त कल्याण मंत्री माननीय सीता राम केसरी जी जैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हमेशा कल्याण की बात की है और यूक्रेन को तो उन्होंने हमेशा संरक्षण अदा ही है, लेकिन आज जब सदन बुजुर्गों और विधवाओं की बात आई है तो मुझे पूरी आशा है कि उनको व्यवस्था के बारे में, उनके संरक्षण के बारे में वे अवश्य कुछ सोचेंगे।

मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं और आपने मुझे जो समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शारदा मल्होत्री (उड़ीसा) : जैसे रेलवे में सफर के लिये कुछ लोगों को कुछ रियायत दी जाती है वैसे ही जो महिला हैं जो विधवा हैं उन लोगों को सफर में कुछ रियायत दी जानी चाहिये। दूसरी बात वास्तव में जो वृद्ध हैं उनको भी सफर करने के लिये कुछ रियायत दी जानी चाहिये। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इसको जरूर करेंगे।

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) उपसभाध्यक्ष महोदय अपने माननीय सदस्यों को जिन्होंने इस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त किये हैं, मैं बहुत गौर से उनकी बातों को सुन रहा था और विशेष रूप से सुरेश पचौरी जी ने जो सरकार का ध्यान वृद्धों और विधवाओं के प्रति आकर्षित किया है उसके लिये भी हम आभार प्रगट करते हैं।

सर्वप्रथम मैं पचौरी जी का उस दिन भाषण सुन रहा था। उस भाषण में जो वृद्धों के प्रति या विधवाओं के प्रति संवेदनशीलता का परिचय मिला वह अभिभूत करने वाला था। अभी अफजल साहब ने वक्फ बोर्ड के प्रति जो बातें कहीं और उन्होंने इसका एक आधार बनाने का जो सुझाव दिया है, वह सुझाव ठीक होते हुये भी वैधानिक दृष्टि से कितनी दूर तक इस वक्फ बोर्ड को हम इस दिशा की ओर प्रेरित कर सकेंगे यह विचारणीय विषय है। बाबा मिश्र जी ने बहुत सारे प्रश्न उठाये हैं और उनके प्रश्नों में तथ्य हैं और इससे नकारा नहीं जा सकता कि आज की परिस्थितियों में यह प्रश्न देश के सामने उपस्थित हैं। जाधव जी की बात भी मैं सुन रहा था, गौतम जी की बात भी मैं सुन रहा था बड़े गौर से गंभीरता से। उनकी बातों में भी, जो हमारी विधवा बहनें हैं, उपेक्षित हैं और जो हमारे वृद्ध लोग बुजुर्ग लोग उपेक्षित हैं या शरीर से शिथिल होते जा रहे हैं उनके प्रति सरकार भी संवेदनशील है और सहानुभूति ही नहीं कर्तव्यपरायणता का भी प्रश्न है। मैं इनकी बातों को तरजीह देना चाहता हूं। मगर कुछ बहुत सारी कठिनाईयां भी हैं। उन्होंने स्वयं ही 1981 की जनसंख्या के आधार पर वृद्धों की चार करोड़ पैंतालीस लाख और विधवा बहनों की दो करोड़ पैंतीस लाख की संख्या की बात की है। मगर अब 1981

[श्री शारदा महन्ती]

और 1991 में दस साल का अन्तर है । उनकी संख्या में काफी वृद्धि हुई है। ऐसा कहा जाता है कि 20 से 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई होगी । इस आधार पर अनुमानतः उनकी संख्या पौने नौ करोड़ के करीब हो गयी होगी । पचौरी जी ने विधेयक में जो तीन सौ रुपये की मासिक सहायता दिये जाने का प्रावधान किया है, उस आधार पर 6 हजार तीन सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रश्न उठता है ।

4.00 P.M. मेरा आप लोगों से एक निवेदन है कि यह प्रश्न राष्ट्र का ही नहीं समाज का भी है । अगर इतिहास उठाकर देखा जाए तो मैं समझता हूं कि कहीं भी इतिहास में बहनों के प्रति, विशेषकर विधवा बहनों के प्रति उपेक्षा की भावना नहीं रही है। मिश्रा जी ने महाभारत की चर्चा की, भीष्म पितामह की चर्चा की, ठीक ही की मगर एक चर्चा यदि वे यह करते कि पांडवों की माता कुन्ती विधवा थी मगर इतनी सम्मानित थीं कि पांचों पांडवों को समान समझते हुए भी उन पर उनका आधिपत्य था, तो अच्छा होता ।

यह सत्य है कि वास्तव में सामाजिक त्रुटियां 12वीं सदी, 13वीं सदी के बाद व्याप्त हुई हैं और इन सामाजिक त्रुटियों में स्त्रियों के प्रति उपेक्षा की भावना मुख्य रही है । मैं इस दिशा में इतिहास के पन्नों को पलटना नहीं चाहता हूं लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि समाज का जो एक यूनिट रहा है परिवार का वह भौतिकता के कारण टूट रहा है । ज्यों-ज्यों इस देश में मैटीरियलिज्म का प्रवेश हुआ, आधुनिक युग में जो भी वैज्ञानिक प्रगति हुई है, उसके प्रति मेरी उपेक्षा की भावना नहीं है, उसमें मेरा विश्वास है लेकिन उसके बाद मानवीय गुणों का अभाव होता गया है । एक बात और विचारणीय है कि जैसे-जैसे कम्युनिकेशन गैप घटा है, वैसे वैसे इमोशनल गैप बढ़ा है । आज आप एक घंटे में कलकत्ता या बंबई पहुंच सकते हैं लेकिन पहले जिस तरह ट्रेन में चलकर या बैलगाड़ी में चलकर या घोड़े पर चलकर सारे देश के लोग आपस में मिलते थे और उनमें जो भावनात्मक संबंध थे, आज वे नहीं हैं।

आज देश में तरक्की हुई है, बड़े-बड़े उद्योग-धंधे स्थापित हुए हैं लेकिन आज आप दस मंजिला या बीस मंजिला मकान में जाइए, वहां आज पारिवारिक जीवन नहीं है, पड़ोसियों में संबंध नहीं हैं। यह दुःखद चीज है । अगर आप गांव में जाएं तो गांव के एक मकान में रहने वाले किसी व्यक्ति को अगर दर्द हुआ तो दूसरे मकान वाला फौरन दौड़कर उसकी सेवा और खिदमत में लग जाता है । लेकिन शहरों में इन संवेदनशीलता का अभाव है । आज परिवार टूट रहा है लेकिन इस पर ध्यान नहीं है । समाज की कुरीतियों ने बहनों को और वृद्धों को अपने से अलग कर दिया है, इस पर ध्यान नहीं है ।

मैं पचौरी जी के इस विधेयक का सम्मान जरूर करता हूं मगर उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वे इस विधेयक को वापस ले लें । फिर उनसे बहुत सारी बातें इस विषय में हम साथ बैठकर करेंगे ।

मगर मैं सभी लोगों से यह भी कहना चाहता हूं कि इस बात को गंभीरता से सोचिए कि जो परिवार का यूनिट था आज वह टूट रहा है । आप लोगों ने दुनिया के देशों की चर्चा की, मिश्रा जी ने कहा वहां पर बुजुर्गों के लिए इतने पौंड दिया जाता है । विदेशों की बात बहुत से मेरे मित्रों ने कही । हम उसका विरोध नहीं करते हैं मगर आर्थिक अवस्था को भी अपने देश की देखनी चाहिए । आज देखिए यहां पर 39 परसेंट के करीब लोग पावर्टी लाइन के नीचे हैं । मेरा जहां तक अनुमान है कमोबेश हो सकता है लेकिन दूसरे देशों से खास तौर से यूरोप के देशों से हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं । वहां संपन्नता से ऊपर की व्यवस्था है और हमारे लिए अभी तक विपन्नता से उबरना कठिन हो रहा है, हम विपन्नता से निकल नहीं सके हैं । हमारी आर्थिक अवस्था उस जगह पर नहीं पहुंची है जहां हम हर इंसान का जो उसके नैतिक अधिकार है उससे लाभान्वित कर सकें । सरकार का प्रयत्न है कि हम जितनी जल्दी हो सके

उनके लिए हर तरह की सुविधा का प्रबंध करें और इसके लिए संविधान में प्रावधान भी है मगर हमारे सामने कठिनाइयां भी हैं । उन कठिनाइयों के रहते हुए इसके लिए प्रावधान करना चाहिए । इस दिशा में सरकार निश्चित रूप से सोचती रहेगी । यही वजह है कि बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाओं को सरकार अनुदान देती रही है । विभिन्न प्रदेशों में उनकी आर्थिक अवस्था के अनुसार वृद्धों के लिए पेंशन का प्रावधान है । मगर जितना होना चाहिए उतना नहीं है ।

इसके साथ ही मेरा यह भी निवेदन है कि जो परिवार का यूनिट है उसको टूटने मत दीजिए । अगर देश में परिवार का यूनिट टूट गया और आधुनिक युग की जो तुलना हम करते हैं अगर यह छा गया तो वृद्धों को जो अवस्था है उसको आप पेंशन देकर उनके जीवन की रक्षा तो कर सकते हैं मगर उनको सम्मान नहीं दे सकते । सम्मान होता है सामाजिक संबंध से । भावना से सम्मान होता है । एक दूसरे के प्रति आदर से सम्मान होता है, भौतिक आधार से सम्मान नहीं होता है । यह बात निश्चित जान जाइए ।

श्रीमन् मैं एक चीज और कह देना चाहता हूं सुरेश जी से कि अभी तक जो अनुदान की रकम थी उससे कई गुना अधिक राशि हम 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्त करने की अपेक्षा रखते हैं और आशा करते हैं कि इससे अधिक लोगों को राहत मिलेगी । यह ठीक है कि जो अनुदान अभी तक स्वयंसेवी संस्थाओं को दिया गया वह मेरी दृष्टि में बहुत ही कम है और इस बात का प्रश्न ही नहीं उठता कि किसी भी रूप में उससे सभी वृद्धों को सहायता मिली हो । करीब 90 लाख रुपया स्वयंसेवी संस्थाओं को दिया गया । जहां एक तरफ हमारे देश में पौने नौ करोड़ की आबादी विधवा बहनों और वृद्धों की है, उस दृष्टि से यदि अनुदान को देखा जाए तो वह कुछ भी नहीं है । हमें आशा है कि हम 8वीं पंचवर्षीय योजना में कम से कम 10–12 करोड़ रुपए लेने की अपेक्षा रखते हैं । यह ठीक है कि हम वायदा नहीं करते मगर इसके विचार में जो संवेदनशीलता है जो सहानुभूति है जिसके कारण उन्होंने यह विधेयक रखा है उसका एक बहुत बड़ा अर्थ सरकार के ध्यान को अपने कार्य के प्रति जागरूक करने के लिए है । उचित है । पर मेरा निवेदन है कि वह इस विधेयक को वापस ले लें । मैं इस दिशा में देखूंगा कि क्या कर सकता हूं ।

श्री **सुरेश पचौरी** (मध्य प्रदेश) : मान्यवर उपसभाध्यक्ष महोदय, बड़ी आशाओं और उम्मीदों के साथ 17 अगस्त, 1990 को बुजुर्गों और विधवाओं को वित्तीय सहायता देने संबंधी विधेयक मैंने प्रस्तुत किया था । (व्यवधान) मैं यह निवेदन कर रहा था कि जब इस विधेयक पर चर्चा प्रारम्भ हुई तो आदरणीय केसरी जी ने कल्याण मंत्रालय संभाला था जो सदैव उन समस्याओं के प्रति अत्यन्त चिंतित एवं संवेदनशील रहे हैं जो समस्याएं आम लोगों की हैं यानी जिनसे आम आदमी प्रभावित रहता है । आज जो हमारे देश की स्थिति है उसमें बुजुर्गों और विधवाओं की बड़ी दयनीय स्थिति है । इसको दृष्टिगत रखते हुए मैंने यह बिल प्रस्तुत करते समय सरकार से आग्रह किया था कि उन्हें प्रतिमाह कम से कम 300 रुपये प्रदान किये जायें ताकि वे भी हमारे यहां शांति और सम्मान के साथ रह सकें और अपने आप को अपमानित, प्रताड़ित महसूस न कर सकें क्योंकि हमारे यहां पूर्व में संयुक्त परिवार की प्रथा थी वह धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही है और एकाकी परिवार की प्रथा हमारे यहां चल रही है परिणामस्वरूप उन बुजुर्गों को जिनको एक परिवार में सम्मान मिलना चाहिए आज की पाश्चात्य संस्कृति के रंग में रंगकर स्थिति यह हो रही है कि आज की पीढ़ी उन बजुर्गों को जो सम्मान देना चाहिए नहीं दे रही है और जो उनसे अनुभवों का लाभ लेना चाहिए वह लाभ नहीं उठा पा रही है । स्थिति यह हो रही है कि जैसा कि विदेशों में कहावत है कि यदि कोई समस्या उलझ जाए और उसे सुलझाना है तो किसी बुजुर्ग से परामर्श लेना चाहिए । आज हमें उनके अनु-

[श्री सुरेश पचौरी]

भव का जितना लाभ लेना चाहिए उतना नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि हम मानसिक स्थिति में बुजुर्गों को सही नहीं पाते हैं। वह मानसिक स्थिति क्यों बिगड़ रही है इसके बारे में विस्तार से जाने की आवश्यकता नहीं है बल्कि इसका मल कारण यह है कि वह अपने परिवार में रहते हुए अपने को हेय और अपमानित महसूस करता है। आर्थिक दृष्टि से काफी परेशानी महसूस करता है। इसलिए उन बातों को मद्देनजर रखकर मैंने इस विधेयक को प्रस्तुत किया था। साथ ही न केवल वित्तीय मदद देने की बात कही थी बल्कि इसमें अन्य चीजों का भी उल्लेख किया था जिसमें 50 प्रतिशत बस और रेल में कंसेशन देने की बात कही थी। अस्पतालों में उन्हें चिकित्सा सुविधा मिल पाए इसके लिए अलग से वार्ड की व्यवस्था की मैंने बात कही थी क्योंकि उन लोगों की भर्ती नहीं हो पाती। पे एंड स्टे होस्टल की फेसिलिटी कम से कम बड़ी-बड़ी सिटीज में मिल पाये, डे केयर सेन्टर पायें और साथ ही साथ जो एसेन्सियल कमोडिटीज, रोजमर्रा की चीजें हैं वे कंसेशन पर मिल पायें, इनके लिए मैंने कहा था। क्योंकि सौ रुपये जो हम देते हैं उसमें कुछ नहीं हो पाता। इसलिए सारी सुविधाओं का मैंने उल्लेख किया था। निश्चितरूप से मंत्री महोदय क्योंकि बुजुर्गों की कठिनाइयों के प्रति चिंतित हैं इसलिए वह न केवल वित्तीय मदद देने की बातों पर विचार करेंगे बल्कि अन्य इस प्रकार की मदद पर भी विचार करेंगे जिससे उनका स्वास्थ्य सही रह पाये, मानसिक स्थिति सही रह पाये। उनकी मानसिक स्थिति सही रह पाये, अपना स्पेयर टाइम वे डे केयर सेन्टर्स में व्यतीत कर पायें और साथ ही होस्टल फेसिलिटीज जैसे विमन होस्टल्स हैं, गर्ल्स होस्टल्स हैं, ऐसे ही होस्टल्स की व्यवस्था बुजुर्गों के लिए भी होनी चाहिए। हाउसिंग फेसिलिटीज भी उनको मिलनी चाहिए, जैसे डी.डी.ए. के मकान हैं, हाउसिंग बोर्ड के मकान हैं, उनको मिलने चाहिए ताकि परिवार में उनका अपमान हो तो वे वहां अलग से रहकर सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें। इस प्रकार से नई नई योजनाओं को कार्यान्वित करके आदरणीय केसरी जी एक सार्थक भूमिका अदा करेंगे क्योंकि सरकार के एक महत्वपूर्ण मंत्री के रूप में वे हमारे बीच में उपलब्ध हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) : वे खुद भी बुजर्ग हैं।

श्री सुरेश पचौरी : मान्यवर, मेरा आग्रह है कि हमारे राष्ट्र की जो टोटल पोपुलेशन है उसके 20 प्रतिशत बुजुर्ग हैं। जो फीगर बताई गई है उसमें 1919 की सेन्सेस के अनुसार 5.41 करोड़ बुजुर्ग हैं और 3.31 करोड़ विधवाएं हैं और यह संख्या 8.71 करोड़ की आती है। इस 20 प्रतिशत पोपुलेशन को मदद देने की बात है। जो स्कीमें चल रही है, जिनका उल्लेख किया गया है, उसमें राज्यों में 30 रुपये से लेकर 100 रु. तक मासिक देने का प्रावधान है। इस पोपुलेशन में जो लोग कवर होते हैं वे लगभग 60 लाख के करीब होते हैं। इसमें केवल 12.5 परसेंट लोग ही आते हैं जब कि इसमें 20 प्रतिशत लोग हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि सरकार इन 20 प्रतिशत लोगों को लाभान्वित करने के लिए योजनायें बनाये। सारे राज्यों में एक तरह की वित्तीय सहायता मिले। यद्यपि मेरे एक प्रश्न के उत्तर में राज्य सभा में सरकार ने आश्वासन दिया था कि सारे राज्यों में समान रूप से वित्तीय सहायता देने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिये गये हैं, लेकिन राज्य सरकारों ने वित्तीय संकट का आधार लेकर इसको स्वीकार नहीं किया है। इसलिए मैं पुनः केसरी जी से अपील करूंगा कि वे सबको समान रूप से राशि दें ताकि हमारे बुजुर्गों और विधवाओं को वित्तीय मदद मिल सके और उनको न केवल वित्तीय सहायता मिल सके बल्कि उनको अन्य सुविधायें भी मिल सकें जिनका उल्लेख मैंने किया है। ऐसा कहा जाता है कि टू सर्व ओल्ड मैन इज टू सर्व गोड। आप ऐसा करके न केवल अपने कर्तव्य का पालन करेंगे बल्कि हम सही रूप में उन बुजुर्गों का सम्मान करेंगे जिन्होंने हमारे देश की संस्कृति को जीवित रखा है, जिस संस्कृति के सहारे हम काफी आगे चल रहे हैं। निश्चित रूप से केसरी जी में आस्था रखते हुए मैं कहना

चाहता हूं कि वे बुजुर्गों और विधवाओं की समस्याओं को हल करेंगे । वे इस संबंध में चिन्तित हैं । वे उन्हें न केवल वित्तीय सहायता देने के लिए नया बिल लाएंगे बल्कि उन्हें अन्य सुविधायें देने संबंधी भी बिल लाएंगे, नई-नई योजनायें लाएंगे । इन बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं अपने बिल को वापस लेता हूं और सारे वक्ता जो इस बिल के समर्थन में बोले हैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं ।

The Bill was, by leave, withdrawn.

THE ILLEGAL MIGRANTS (DETERMINATION BY TRIBUNALS) REPEAL BILL, 1991

DR. NAGEN SAIKIA (Assam): Sir, I move:

> "That the Bill to repeal the Illegal Migrants (Determination by Tribunals) Act, 1983, be taken into consideration."

Sir, this is the call of the time to repeal the Act which is called the Illegal Migrants (Determination by Tribunals) Repeal Act, 1983. Sir, Assam has always been treated in a way separate from the other States. During the period of the last 40 years the State has been getting a stepmotherly behaviour from the Centre. It is needless to state once again the richness of Assam in resources like oil, tea, timber and coal; but Assam in return is getting lesser than it should get. So, the sense of deprivation is always there in the minds of the people of the State.

Sir, it is a State where many ethnic races and linguistic groups mingle to form a composite sub-nationality, a composite culture and a composite language. In this way, Assam has become the central point in the North-Eastern region to integrate the whole area. There are hill tribes, plain tribes and other tribes and Assam alone—Assamese culture and Assamese language—has been trying to integrate all these races and all these languages and in this way forming a composite sub-nationality, a composite culture and a composite language. In this way, Assam has been standing as sentinel of the country in the North-East.

Sir, we are surrounded by foreign countries. It is only with a chicken neck corridor that it is connected with the rest of the country. The sensitive borders of the State always need strict vigilance. But the Central Government is not as much concerned with all the life-and-death problems of the State as it is concerned with its resources. A glaring example of this attitude of the Government is Illegal Migrants (Determination by Tribunals) Act, 1983. The Foreigners Act of the country covers all the parts of the country. But in the case of Assam, the Government thought it wise to bring Assam out of the operation of the Act and enacted another Act in the name of Illegal Migrants (Determination by Tribunals) Act, 1983.

Sir, there is a history behind this. It is known to all. After the death of one Member of Parliament—a Lok Sabha Member, Mr. Hiralal Patwari of the Mangoldoi constituency—when the by-election was held in Assam, the people were surprised to learn that in the electroal rolls there were lakhs and lakhs of foreigners' names. The persons who had migrated from Bangaldesh without any legal authorisation were included in the voters' list and this news was actually a great surprise—a shocking surprise—for the people of the State. The people of Bangladesh who migrated after 1965—the Indo-Pakistan war of 1965 and after the liberation of Bangladesh in 1971 were in the voters' list of Mangoldoi constituency. This news of inclusion of foreigners' names in the electoral rolls to determine the fate of the genuine citizens of the State and thereby the fate of the